प्रेस विज्ञप्ति

11.02.2026

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा फेमा उल्लंघनों के मामले में मेसर्स डेक्कन डिजिटल नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध कंपाउंडिंग आदेश जारी

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 15 के अंतर्गत दिनांक 14.01.2026 को **मेसर्स डेक्कन डिजिटल नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड** के मामले में कंपाउंडिंग आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के परिणामस्वरूप, कंपनी के विरुद्ध फेमा, 1999 के प्रावधानों के कथित उल्लंघनों से संबंधित कार्यवाहियों का समापन हो गया है। यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अनापत्ति (नो ऑब्जेक्शन) जारी किए जाने के पश्चात आरबीआई द्वारा पारित किया गया है।

इस मामले में प्राप्त विश्वसनीय सूचना के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जांच प्रारंभ की गई। जांच पूर्ण होने के उपरांत, दिनांक 27.12.2012 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा फेमा की धारा 16 के अंतर्गत मेसर्स डेक्कन डिजिटल नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध निर्णायक प्राधिकारी के समक्ष शिकायत दायर की गई, जिसमें फेमा, 1999 के अंतर्गत निम्नलिखित उल्लंघनों की ओर इंगित किया गया, जिनके संबंध में आरबीआई द्वारा कंपाउंडिंग की गई है:—

1. फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची-1 के पैरा 9(1)(ए) के अंतर्गत विदेशी आवक भुगतानों की विलंबित रिपोर्टिंग, जिसकी राशि ₹11,82,84,399/- है।
2. उसी अनुसूची-1 के पैरा 9(1)(बी) के अंतर्गत शेयर जारी करने के पश्चात फॉर्म एफ सी जी पी आर का विलंबित प्रस्तुतीकरण, जिसकी राशि ₹11,82,84,400/- है।

फेमा के प्रावधानों के अनुसार, निर्णायक प्राधिकारी द्वारा दिनांक 16.01.2013 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 16 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी कर कंपनी तथा उल्लंघन की प्रासंगिक अवधि के दौरान कंपनी के व्यवसाय के संचालन हेतु प्रभारी एवं उत्तरदायी निदेशकों/अधिकारियों के विरुद्ध निर्णयन कार्यवाही प्रारंभ की गई।

इसके पश्चात, कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार उक्त उल्लंघनों की कंपाउंडिंग हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के संदर्भ पर, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अधिनियम की वास्तविक भावना के अनुरूप उक्त कंपाउंडिंग के लिए अनापत्ति जारी की गई। तदनुसार, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी अनापत्ति के आधार पर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14.01.2026 के कंपाउंडिंग आदेश के माध्यम से ₹1,03,333/- की एकमुश्त राशि पर उक्त उल्लंघनों की कंपाउंडिंग की है। इसके परिणामस्वरूप, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी के विरुद्ध उक्त उल्लंघनों से संबंधित निर्णयन कार्यवाही तथा उससे उत्पन्न आगे की विधिक कार्यवाहियों का समापन हो गया है।